

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-5767 / 2018

आदेश दिनांक:-

13.12.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री रितेश जैन

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

यह अपील 30 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसे क्षमा करने हेतु धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए 30 दिन के विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।

सुना गया । आक्षेपित निर्णय व पंचाट का अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थीगण को अपील के नोटिस दिनांक 05.02.2019 की वापसी के लिए जारी किए जावें । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)